

2020/00189

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
39/20	188 RTA	आशापुरा	६७३१
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अमरसिंह		बनाम	प्रेमनारायण

वकील :- भगवत कलिया

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

6/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा .....188 RTA..... आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक .....5/8/20..... को पेश हो।

5/20

मोरीना सुकुम्मा  
अज बीटामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक .....7/9/20.....को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

7/20

मोरीना सुकुम्मा  
अज बीटामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक .....29/9/20.....को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

29/20

मोरीना सुकुम्मा  
अज बीटामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक .....21/10/20.....को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
--------	--------------------

16-12-24

पत्रावली पेडा डई कमील वाडी उपर लाक्षण  
 वाडी उपर नही की लाग माहरे की प्रर  
 ने कर अकल डिमे जा मुके की मापाठन  
 ने एक कालिप अकल डिमे जाग प्रे पत्रावली  
 कारि लाक्षण वाडी डिगेंड 24-12-24 को फेकेल

.लय उपजि

मोंपो एउना डारा फडम

24-12-24

पत्रावली पेडा डई। कमील वाडी उपर। कमील वाडी  
 प्रकरण को चलावा नही आहेत है। Not press  
 करना आहेत है। प्रकरण Not press मे खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली फेडाल गुमार होकर राखिल  
 इतर है।

Not